मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 4971 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि. 27 / 12 / 2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   एवं कलेक्टर
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
   जिला – समस्त (म.प्र.)

2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
   जिला – समस्त (म.प्र.)

3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
   जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, म.प्र. के तहत ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना की कार्य आयोजना एवं क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य :–

1.1 धारणीय ग्रामीण आजीविका (Sustainable Rural Livelihood) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ–साथ इन क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में दैनिक उपयोग के आधारभूत साधनों व संसाधनों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 1 के कंडिका 1 (i), (iv) **एवं** (vi) में क्रमशः जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन, निजी भूमि पर बागवानी – बागान प्रसुविधा तथा भूमि सुधार के कार्य अनुज्ञेय है और कंडिका 2 में ''ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण'' को योजना के महत्वपूर्ण उददेश्य के रूप में उल्लेखित किया गया है।

1.3 वृक्षों के विकास के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर यदि जैविक खाद का उपयोग किया जाये तो न केवल वृक्षारोपण की सकल लागत में कमी लाई जा सकती है, अपितु स्थानीय स्तर पर जैविक खाद को बनाने में ग्रामीण क्षेत्रों के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर इनका उचित निपटारा भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि मानव मल से तैयार जैविक खाद उच्च नत्रजन वाली होती है।

1.4 आजीविका के संदर्भ में स्वच्छ पर्यावरण के मायने स्वस्पष्ट हैं। अतः ग्रामीणों के निजी घर की बाड़ी में अथवा समीपस्थ शासकीय भूमि पर बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण तथा इन वृक्षों के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर जैविक खाद के उत्पादन के लिए पूर्वोक्त पैरा 1.2 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. लिये जाने वाले कार्य : –

पूर्व उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना के तहत समेकित रूप में निम्न कार्य लिये जा सकेंगे : –

1. हितग्राही परिवार के घर की निजी घर की बाड़ी में अथवा समीपस्थ शासकीय भूमि पर कम से कम 05 बहुउपयोगी वृक्षों जैसे नीम, आंवला, अमरूद, आम, केला, पपीता, इत्यादि का रोपण।
2. उक्त वृक्षों के विकास हेतु जैविक खाद के उत्पादन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उनके घर में बनने वाले प्रत्येक शौचालय के साथ एक जोड़ा लीचिंग पिट का निर्माण।

3. क्रियान्वयन एजेंसी :–

निर्मल वाटिका उपयोजना के उक्त कार्य के लिए ''ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्ही. डब्ल्यू.एस.सी.)'' क्रियान्वयन एजेन्सी होगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कार्य नहीं कर पाने की स्थिति में उससे लिखित में इस आशय की सूचना लेने के पश्चात ग्राम पंचायत इन कार्यों का क्रियान्वयन कर सकेगी।

4. आयोजना :–

4.1 समग्र स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत उपखण्ड स्तर पर चयनित एजेन्सियों द्वारा ग्रामवार ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना हेतु इच्छुक हितग्राही परिवारों का चयन कर

इनकी सूची संबंधित ग्राम की ''ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति'' को उपलब्ध कराई जावेगी।

4.2 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इच्छुक हितग्राहियों की सूची के आधार पर उपयंत्री के सहयोग से ग्रामवार ''निर्मल वाटिका उपयोजना'' के तहत वृक्षारोपण व जैविक खाद के उत्पादन हेतु लीचिंग पिट के निर्माण का एकजाई परियोजना प्रस्ताव एकजाई प्राक्कलन तैयार कर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जावेगा।

4.3 उक्तानुसार तैयार प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन होने के पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

4.4 ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना के अंतर्गत लीचिंग पिट से प्राप्त जैविक खाद एवं फलों पर स्वामित्व संबंधित हितग्राही परिवार का होगा।

5. कार्य का प्राक्कलन व स्वीकृतियां :–

5.1 शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल निर्मल वाटिका के कार्यों के क्रियान्वन हेतु संलग्न सांकेतिक डिजाईन व आकार (Dimension) अनुलग्नक 1 के आधार पर प्राक्कलन उपयंत्री द्वारा वार्डवार/ग्रामवार तैयार कर इसे ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मेट द्वारा एकजाई किया जायेगा।

5.2 ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना की डिजाईन, आकार व प्राक्कलन के निर्धारण के उपरांत प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

6. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

6.1 ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना में प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ''ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति'' द्वारा किया जायेगा। इस हेतु कार्यों की स्वीकृत राशि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को दो किश्तों में प्रदाय की जायेगी। प्रथम किश्त की राशि का 60 प्रतिशत उपयोग होने संबंधी उपयोगिता

प्रमाण – पत्र प्राप्त कर द्वितीय किश्त की राशि जारी की जावेगी। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्ता पूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये।

6.2 ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना के अंतर्गत एक जोड़ा लिचिंग पिट का निर्माण किया जावेगा। जिसे WC पाईप से पुनः जोड़ा जावेगा। प्रथम गड्डा भरने के पश्चात् उसे लगभग 2 वर्ष तक छोड़ दिया जाये, जिसके फलस्वरूप जैविक खाद् का निर्माण हो सके। इस तरह जैविक खाद् का उपयोग प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए हो सकेगा।

6.3 क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। ''ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति'' भी क्रियान्वित किये जा रहे, कार्यों का अवलोकन कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगी।

6.4 कार्य के पूर्ण होने पर ''ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति'' से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी।

6.4 विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्तानुसार संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

6.5 कार्य पूर्ण होने पर विभाग के पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02.07.2007 में वर्णित चैकलिस्ट के अनुरूप नस्ती का संधारण जनपद स्तर पर पदस्थ सहायक यंत्री/प्रबंधक द्वारा किया जाये।

6.6 ''निर्मल वाटिका'' उपयोजना के रख–रखाव का दायित्व संबंधित लाभार्थी का रहेगा। उपयोजना में निर्मित लीचिंग पिट हमेशा ढ़का रहे, जिससे किसी प्रकार के प्रदूषण एवं दुर्घटना की आशंका न रहे।

7. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्यों में से कम से कम 10% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.2 परियोजना अधिकारी (तकनीकी) द्वारा सभी विकासखण्डों में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान उपरोक्त कार्यों में से 5% कार्यों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

7.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में उपरोक्त कार्यों में से कम से कम से 20% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.4 सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा ग्राम सहायक 15 दिवस में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त कार्यों के चयन, कार्यों के अनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति तथा क्रियान्वयन की शत–प्रतिशत मॉनिटरिंग अनिवार्यतः करेंगे।

उपरोक्त कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 2** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठा. क्र. /22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि. /12/2007

प्रतिलिपि : –

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. संचालक, महात्मा गांधी, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, अधारताल, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
3. संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल (मध्यप्रदेश)
4. संभाग आयुक्त, (समस्त) मध्यप्रदेश।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) मण्डल।
6. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ व अपने स्तर से अधीनस्थ सहायक यंत्री व उपयंत्री को उपलब्ध कराने की कार्यवाही हेतु।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग